संख्या-395/2026/आई/1332527/23-1-26/001-23-1002(002)/279/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 18 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 23 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 23 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 31,11,51,000/- (रूपये इकत्तीस करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	21082/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	04-05-2026
2	21125/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	05-05-2026
3	21146/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	06-05-2026
4	21353/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	12-05-2026
5	21443/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	13-05-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-2 आजमगढ़	खुरासो मिजवां सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य।	186/2025/आई/924116/23-1-25/001-23-1002(002)/103/2025-दिनांक-31-03-2025	80.70 80.70 49.43 16.70 64.00	35.40	28.60	28.60
2	नि.ख. बलिया	बांसडीह सहतवार बैरिया से करमानपुर का छूटा भाग मार्ग तक (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	155/2026/आई/1264559/23-1-26/001-23-1002(002)/86/2026-दिनांक-12-03-2026	1096.39 1096.39 834.93 5.12 1091.27	107.15	984.12	219.27
3	प्रा.ख. बलिया	बहोरवा खुर्द से मुबारकपुर मार्ग का निर्माण कार्य	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	130.08 130.06 98.47 0.11 129.95	6.06	123.89	70.45
4	नि.ख. बलिया	केवरा से हुसैनाबाद, बिसौली, कोलकला, रविदास मंदिर से ताहिरपुर, कुसौरी कला होते हुए रेवती नगर पंचायत तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	100/2026/आई/1245016/23-1-26/001-23-1002(002)/77/2026-दिनांक-19-02-2026	3768.07 3768.07 2750.38 10.20 3757.87	368.18	3389.69	395.40
5	प्रा.ख. आजमगढ़	कप्तानगंज अहिरौला मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	471/2025/आई/1116075/23-1-25/001-23-1002(002)/162/2025 दिनांक 14.10.2025-दिनांक-14-10-2025	5327.01 5327.01 3964.79 6.82 5320.19	520.98	4799.21	559.20
6	प्रा.ख. आजमगढ़	सिकन्दरपुर नरियांव मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य	472/2025/आई/1116081/23-1-25/001-23-1002(002)/167/2025 दिनांक 14.10.2025-दिनांक-14-10-2025	1202.31 1202.31 906.18 50.94 1151.37	357.84	793.53	240.00
7	नि.ख. बलिया	एस0एच0-1 बी श्री सुहेलदेव स्मारक से बलेऊर बिजलीपुर प्रा0	83/2026/आई/1236096/23-1-26/001-23-	1360.51 1360.51 1067.66 6.00	132.88	1221.63	274.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		पाठशाला खोरौली प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र हुसेनाबाद तक मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1002(002)/23/2026 -दिनांक-11-02-2026	1354.51			
8	नि.ख. बलिया	सौनौली बलिया मार्ग (एन0एच0-727बी) धरहरा चट्टी से बलिया सिकन्दपुर से कशेरूआ अ0जि0मा0 होते हुए भरतपुरा तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य ।	158 /2026/आई/1266165/23-1-26/001-23-1002(002)/88/2026 -दिनांक-13-03-2026	586.57 586.57 434.46 13.00 573.57	57.32	516.25	175.97
9	नि.ख. बलिया	सोनबरसा दलनछपरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	176 /2026/आई/1271597/23-1-26/001-23-1002(002)/89/2026 -दिनांक-18-03-2026	1358.29 1358.29 983.20 1.96 1356.33	132.76	1223.57	271.66
10	नि.ख. आजमगढ़	लालगंज लहुआ मार्ग तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1030 /2023 /आई /430541 /23-1-23/001-23-1002(002)/205 /2023 -दिनांक-21-11-2023	1894.89 1894.89 987.00 345.00 1549.89	1479.37	70.52	70.52
11	नि.ख. बलिया	जसांव सोनवानी मार्ग से रोहुआभर टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026 -दिनांक-27-02-2026	61.17 61.17 45.25 0.04 61.13	2.85	58.28	55.22
12	प्रा.ख. बलिया	नगरा सिकन्दरपुर पी.डब्लू.डी मार्ग से जूडनपुर दलित बस्ती तक सी.सी. सड़क एवं नाली का निर्माण का कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3- दिनांक-16-07-2021	201.72 201.72 164.37 0.24 201.48	181.41	20.07	20.07
13	प्रा.ख. बलिया	ग्रामसभा छिब्बी में चिल्लर के डेरा से गठिया होते हुए मलकौली एवं कल्याण बाबा मन्दिर तक संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3- दिनांक-16-07-2021	218.87 218.87 178.31 0.38 218.49	205.50	12.99	12.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
14	प्रा.ख. बलिया	पकवाईनार सिधारघाट मार्ग से नरनी होते हुए सम्बलपुर छितनहारा संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3- दिनांक-16-07-2021	226.61 226.61 184.47 0.56 226.05	182.22	43.83	43.83
15	प्रा.ख. बलिया	लखनऊ बलिया राजधानी मार्ग (एन0एच0) के देवस्थली उचेडा चण्डा मा॰ (सिद्वपीठ) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	27/2022/1636 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 05-01-2022	835.16 835.16 669.58 4.68 830.48	775.35	55.13	55.13
16	प्रा.ख. बलिया	पकवाइनर सिधासरघाट मार्ग अन्य जिला मार्ग से नरनी होते हुए नीबू काली माता मन्दिर तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	27/2022/1636 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 05-01-2022	1058.78 1058.78 870.14 0.43 1058.35	969.45	88.90	88.90
17	प्रा.ख. बलिया	डिहवां सलेमपुर पी0डब्लू0डी0 मार्ग सरयां बगहौरा में मुख्य सड़क से अंगद गिरी के घर होते हुए बब्बन सिंह के घर तक संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	35/2022/1115 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0- दिनांक-06-01-2022	144.75 144.75 116.82 1.30 143.45	130.45	13.00	13.00
18	प्रा.ख. बलिया	मुख्य मार्ग से ग्रामसभा खलीलपुर संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	35/2022/1115 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0- दिनांक-06-01-2022	171.19 171.19 140.16 0.14 171.05	17.11	153.94	92.36
19	प्रा.ख. बलिया	ग्राम लवकरा से गौर पुरा फिरोजपुर संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	35/2022/1115 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0- दिनांक-06-01-2022	270.52 270.52 220.84 0.23 270.29	27.05	243.24	145.94
20	प्रा.ख. बलिया	नगरा गड़वार बलिया मार्ग के सुल्तानपुर चट्टी के पास भट्ठे से सरयां दलित बस्ती तक संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	35/2022/1115 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0- दिनांक-06-01-2022	149.78 149.78 121.00 1.03 148.75	135.49	13.26	13.26
21	प्रा.ख. बलिया	गजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिमपट्टी मार्ग का	122 /2024/आई/521747 /23-1-24/001-23-	1951.57 1951.57 1485.88	1849.58	99.74	99.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1002(002) /82/2024 दिनंाक 15.03.2024-दिनांक-15-03-2024	2.25 1949.32			
22	प्रा.ख. बलिया	गौरी एकइल मार्ग से अनिरुद्ध राजभर के घर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	118 /2026/आई/1252972/23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026 -दिनांक-26-02-2026	149.10 149.10 114.26 0.25 148.85	6.95	141.90	80.68
23	प्रा.ख. आजमगढ़	जमालुद्दीन पट्टी नहर की पुलिया से निकलकर नहर की पटरी होते हुए पकवाइनर महरूपुर तक संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आई/1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026-दिनांक-31-03-2026	157.32 157.32 132.50 0.10 157.22	7.33	149.89	85.22
						कुल योग-	3111.51

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 31,11,51,000/- (रूपये इकत्तीस करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-395/2026/आई/1332527(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/279/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।